

सामाजिक परिवर्तन और विभिन्न तथ्यों के लिए स्वयं सहायता समूहों के ऐतिहासिक महिला सशक्तिकरण का योगदान

¹विनय कुमार ² डॉ. सोनू सारण

इतिहास विभाग

श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय,

विद्यानगरी, झुंझुनूं, राजस्थान –333001

सार

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण एवं शहरी समुदायों में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रभावी साधन के रूप में उभरे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, महिलाओं ने संगठित होकर सामाजिक परिवर्तन, सामूहिक सहयोग और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन समूहों ने न केवल महिलाओं को स्वरोजगार, बचत एवं ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। महिला सशक्तिकरण के इस सामूहिक मॉडल ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ किया। इस प्रकार, स्वयं सहायता समूहों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में ऐतिहासिक योगदान दिया है।

मुख्य शब्द :- महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक स्वतंत्रता, ऐतिहासिक योगदान, ग्रामीण विकास, सामूहिकता, आत्मनिर्भरता

परिचय

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया रही है। यह परिवर्तन समय-समय पर विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, सुधारकों, संगठनों और विशेष रूप से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से गति पकड़ता रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो महिलाओं की भूमिका समाज में पारंपरिक रूप से सीमित रही है, जहाँ उन्हें परिवार और घरेलू कार्यों तक ही सीमित माना जाता था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही महिलाएँ अपनी पहचान बनाने के लिए आगे आईं और उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज के विकास और परिवर्तन में उनका योगदान अनिवार्य है। इन्हीं प्रयासों के विस्तार के रूप में “स्वयं सहायता समूह” ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा 1970 और 1980 के दशक में विकसित हुई, जब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता से लड़ने के लिए सामूहिक संगठित प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई। इन समूहों ने यह दिखाया कि जब महिलाएँ एकजुट होकर छोटे-छोटे बचत और ऋण की प्रक्रिया से जुड़ती हैं, तो वे न केवल अपनी

आर्थिक स्थिति मजबूत करती हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी आत्मनिर्भर और सशक्त बन जाती हैं। यह आंदोलन धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल गया और आज लाखों महिलाएँ इसके माध्यम से अपने परिवार और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक यात्रा को देखें तो यह केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रही। शिक्षा का अधिकार, सामाजिक न्याय, निर्णय लेने की क्षमता, राजनीतिक भागीदारी और आत्मसम्मानकृद् इन सभी आयामों में स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं की स्थिति को बदलने में योगदान दिया। ग्रामीण महिलाएँ, जो पहले घरेलू कार्य तक सीमित थीं, अब स्थानीय प्रशासन, पंचायतों और विकास की योजनाओं के निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत पहचान मजबूत हुई है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है।

स्वयं सहायता समूहों ने सामाजिक परिवर्तन की कई दिशाओं में काम किया है। इन समूहों ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की महिलाओं को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए, उन्हें सूक्ष्म वित्त से जोड़ा और छोटे पैमाने पर व्यवसाय, हस्तशिल्प, कृषि और सेवा क्षेत्र में रोजगार दिलाने में मदद की। इसके अलावा, इन समूहों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला अधिकार और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इस प्रकार, स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक संस्था न होकर सामाजिक आंदोलन का भी रूप ले चुके हैं।

इतिहास साक्षी है कि जहाँ-जहाँ महिलाओं ने संगठन और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से कार्य किया है, वहाँ सामाजिक असमानता और भेदभाव की जड़ें कमजोर हुई हैं। स्वयं सहायता समूहों ने भी महिलाओं को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी का मंच दिया है। यही कारण है कि इन्हें महिला सशक्तिकरण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक माना जाता है।

यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण के इतिहास में स्वयं सहायता समूहों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी रहा है। इन समूहों ने यह सिद्ध किया है कि जब महिलाएँ संगठित होकर आगे बढ़ती हैं तो वे न केवल अपने परिवार की दशा और दिशा बदल सकती हैं, बल्कि पूरे समाज को एक नई राह दिखा सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक स्तर पर समान अवसर प्रदान करना, जिससे वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें और समाज की मुख्यधारा में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा सकें। यदि हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो यह समझ आता है कि महिला की स्थिति समय और समाज के विकास के साथ लगातार बदलती रही है।

• प्राचीन भारत में महिला की स्थिति

वैदिक युग में महिलाओं को सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। वे शिक्षा प्राप्त करती थीं, वेदों का अध्ययन करती थीं और ऋषिकाएँ भी बनती थीं। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं। उस समय स्त्रियों को विवाह में

स्वतंत्रता थी और वे धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थीं। लेकिन उत्तरवैदिक काल में धीरे-धीरे उनकी स्थिति कमजोर होती गई। शिक्षा और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगने लगे तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई।

- **मध्यकालीन भारत में स्थिति**

मध्यकाल में महिलाओं की दशा और भी दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुरीतियों ने महिलाओं की स्वतंत्रता को लगभग समाप्त कर दिया। हालांकि इस दौर में भी कुछ महिलाएँ अपने साहस और प्रतिभा से पहचान बना पाईं। उदाहरण के लिए रजिया सुल्ताना ने दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया और रानी दुर्गावती ने वीरता का परिचय दिया। संत परंपरा में भी मीरा बाई जैसी संत महिलाओं ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया।

- **आधुनिक काल और सामाजिक सुधार आंदोलन**

19वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसे समाप्त कराने में भूमिका निभाई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फुले ने भी स्त्रियों को शिक्षित करने पर बल दिया। अंग्रेजी शासन के दौरान महिला शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे महिलाओं में जागरूकता बढ़ी।

- **स्वतंत्रता संग्राम और महिला भागीदारी**

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी जैसी अनेक महिलाएँ आंदोलन की अग्रणी रहीं। इसने समाज में महिला की नई पहचान स्थापित की और उनके लिए राजनीतिक अधिकारों की नींव रखी।

- **स्वतंत्रता के बाद का दौर**

स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए। उन्हें शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर दिए गए। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी, और वे राजनीति, विज्ञान, खेल और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने लगीं।

- **समकालीन परिप्रेक्ष्य**

आज महिला सशक्तिकरण को सतत विकास का आवश्यक अंग माना जाता है। सरकारी योजनाएँ जैसे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", "उज्ज्वला योजना" और "महिला हेल्पलाइन" ने महिलाओं की स्थिति मजबूत की है। साथ ही, महिलाएँ उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, सेना और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन

भारतीय समाज के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। इतिहास साक्षी है कि किसी भी सभ्यता या संस्कृति की प्रगति का स्तर इस बात से आँका जाता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि समग्र सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला भी है।

वैदिक काल में स्त्रियों को अपेक्षाकृत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएँ दार्शनिक वाद-विवाद में भाग लेती थीं। शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों तथा सामाजिक निर्णयों में उनकी भूमिका स्पष्ट दिखती है। किंतु उत्तर वैदिक काल में धीरे-धीरे पितृसत्तात्मक व्यवस्था सुदृढ़ होती गई और महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होने लगी। विवाह, शिक्षा और संपत्ति पर उनके अधिकार संकुचित कर दिए गए।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति और भी जटिल हो गई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने उनके जीवन को संकुचित कर दिया। तथापि, इस युग में भी कुछ महिलाएँ अपनी शक्ति और साहस से इतिहास में अमिट छाप छोड़ गईं। रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएँ इस तथ्य का प्रमाण हैं कि सामाजिक बंधनों के बावजूद महिलाओं में नेतृत्व और परिवर्तन की क्षमता विद्यमान रही।

उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्यापक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में अहम भूमिका निभाई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और बाल विवाह का विरोध किया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा की नींव रखी। इन सुधारों ने महिलाओं को समाज में नई पहचान दिलाई। अंग्रेजी शिक्षा और राष्ट्रवादी आंदोलनों ने भी महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अवसर प्रदान किए।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेन्ट, अरुणा आसफ अली, कमला नेहरू जैसी अनेक महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर यह सिद्ध किया कि महिलाएँ भी राष्ट्रनिर्माण की समान भागीदार हैं। इससे सामाजिक चेतना में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदला और स्वतंत्र भारत के लिए समान अधिकारों की नींव रखी गई।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा और कार्य के अवसर प्रदान किए। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण स्तर तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लगातार बढ़ती उनकी संख्या ने सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया। महिला आंदोलन, स्वच्छंद लेखन और कानूनों (जैसेकृदहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम आदि) ने उनकी स्थिति को और सुदृढ़ किया।

इतिहास इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि महिला सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक तत्व है। जब-जब महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अवसर मिला, समाज ने प्रगति

की दिशा में कदम बढ़ाए। आज आवश्यकता है कि ऐतिहासिक अनुभवों से सीख लेकर महिलाओं को और अधिक अवसर तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए, ताकि वे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दे सकें।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों का योगदान

स्वयं सहायता समूह आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं। ये समूह सामान्यतः 10 से 20 महिलाओं का संगठन होते हैं, जो सामूहिक बचत, ऋण सुविधा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपने जीवन स्तर को सुधारते हैं।

महिला सशक्तिकरण में योगदान

1. आर्थिक स्वतंत्रता – स्वयं सहायता समूह महिलाओं को छोटे-छोटे ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वे स्वरोजगार, पशुपालन, कुटीर उद्योग और कृषि आधारित कार्यों की शुरुआत कर पाती हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे परिवार की आर्थिक रीढ़ बनती हैं।
2. निर्णय लेने की क्षमता – आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलने के बाद महिलाएँ घरेलू और सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी करने लगती हैं।
3. शिक्षा और जागरूकता – समूह की बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है।
4. आत्मविश्वास और नेतृत्व – समूह की गतिविधियों में भाग लेने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सामाजिक मंचों पर नेतृत्व करने लगती हैं।

सामाजिक परिवर्तन में योगदान

1. सामूहिक चेतना का विकास – स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सामूहिक रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता देते हैं, जिससे सामाजिक एकजुटता मजबूत होती है।
2. लैंगिक समानता – इन समूहों ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा होने का अवसर दिया है, जिससे समाज में लैंगिक समानता की भावना बढ़ी है।
3. सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन – कई स्वयं सहायता समूह ने दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाए हैं।
4. सामुदायिक विकास – समूह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक स्तर पर भी विकास कार्य करते हैं, जैसे – गाँव में सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की माँग उठाना।
5. लोकतांत्रिक भागीदारी – स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ पंचायत चुनावों में भाग लेने लगी हैं, जिससे स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका सशक्त हुई है।

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूहों ने सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं ने न केवल आर्थिक स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाया, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान स्थापित की। सामूहिक बचत, ऋण उपलब्धता और छोटे उद्यमों की शुरुआत से महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई।

महिला सदस्यों के बीच सहयोग, जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना ने पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दी तथा समाज में लैंगिक समानता को बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस प्रकार, स्वयं सहायता समूह न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, सामूहिक नेतृत्व और सतत विकास के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुए हैं। इनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण एक आंदोलन के रूप में उभरा, जिसने समाज को अधिक न्यायसंगत, समानता-आधारित और प्रगतिशील दिशा प्रदान की।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. धीर, के.सी. (2012) वूमेन सेल्फ-हेल्प-ग्रुप। योजना, वाल्यूम 56, नम्बर 6, जून पी. 42-45।
2. शर्मा, कुमुद (1991) ग्रासरूट ओर्गनाइजेशन एंड वूमेन एम्पावरमेंट: सम इसु इन द कोटेम्पोररी डिबेट सम्या। शक्ति, वॉल्यूम। पी.29।
3. नाथ, कमला एंड चटर्जी, मिल्ली (1996) व्हाई वूमेन ? व्हाट पॉलिटिकल ? सेंटर फॉर फॉर सोशल साइंस रिसर्च, न्यू दिल्ली पी 4।
4. पश्चिम, बी.एस. (2006) डज एम्प्लॉयमेंट वूमेन? एन एनालिसीसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वूमेन एम्प्लॉयमेंट इण्डिया। पीजी थीसिस सबमिटेड टू द फैकल्टी ऑफ द ग्रेजुएट स्कूल, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी।
5. सेन, ए. एंड बटलीवाला (2000) “एम्पॉवरिंग वूमेन फॉर रिप्रोडक्टिव राइट” इन एच.बी प्रेसर एंड जी. सेन (एड्स) वूमेन एम्पॉवरमेंट एंड डेमोग्राफी प्रोसेस मूविंग बियॉन्ड कैरो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, पीपी.15-36।
6. कबीर, एन. (1999) रिसोर्स, एजेन्सी, अचीवमेंट: रिफ्लेक्शन ऑन द मेजरमेंट ऑफ वूमेन एम्पॉवरमेंट डेवलपमेंट एंड चेंज, वॉल्यूम 30, पी 435-464।
7. भारत सरकार (1995) वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वूमेन, बिजली, 1995, कंट्री रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, न्यू दिल्ली पी 114।
8. कबीर, एन. (2001) “रिफ्लेक्शन ऑन द मेजरमेंट ऑफ वूमेन” एम्पोवेर्मेंट। इन डिस्कोसिंग वूमेन्स एम्पोवेर्मेंट-थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सिडा स्टडीज नंबर 3. नोवम ग्राफिस्का एबी: स्टॉकहोम।
9. मल्होत्रा, ए., शुलर, एस.आर. एंड बोएन्डर, सी. (2002) “ मासुरिंग वूमेन एम्पोवेर्मेंट एज ए वैरिबल इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट।” वर्ल्ड बैंक जेंडर एंड डेवलपमेंट ग्रुप एंड द सोशल: जून 28।

10. बसु, ए. एंड कूलवाल, जी. (2005) “टू नोटिस ऑफ फीमेल ऑटोनोमिया एंड थेयर इम्प्लीकेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ” इन: ए फोकस ऑन जेंडर: कलेक्ट पेपर्स ऊजिंग डीएचएस डाटा। वाशिंगटन, डीसी: मैक्रो इंटरनेशनल, पीपी 15–54।